

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/172
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00166
CICOM/R/2017/00318

दिनांक: 15.05.2017

अपीलकर्ता : श्री बिमल शंकर विश्वकर्मा,
सदर बाजार, बड़ी काली नं. 1 रोड,
पो 0 - जमालपुर, जिला - मुंगेर,
बिहार ।

निर्णय की तारीख : 15.05.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.03.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.04.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.04.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	129057/04.05.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	200/04.05.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 22.03.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा दिनांक 03.04.2017 को प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की है ।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 22.03.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा दिनांक 03.04.2017 को पत्र सं. CIC/CPIO/AB/2017/20 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यात्मक है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

